.न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 122/2018

GCMS Case No. 2018/00155

प्रार्थी :– **बनाम** **अप्रार्थीगण:–**

सरकार जरिये तहसीलदार सोजत

भोमाराम पुत्र किशनाराम के कायम मुकाम

1. टीकमाराम पुत्र भोमाराम
2. ताराराम पुत्र भोमाराम
3. वेनाराम पुत्र भोमाराम
4. पारकी पुत्री भोमाराम

समस्त जातिगण सिरवी, निवासीगण बगडी तहसील सोजत जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भुण्डाराम चौधरी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 11.7.2024

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार सोजत द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बगडी II पटवार मण्डल बगडी II तहसील सोजत के खसरा नम्बर 4010 रकबा 0.7700 हैक्टेयर भूमि किस्म बारानी अव्वल जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 4010 के साबिक खसरा नम्बर 1650 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा किस्म गै.मु.नाडी है। आवंटन प्रभारी अधिकारी के आदेश दिनांक 16.06.1989 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 548 दिनांक 04.09.1979 की पालना में खसरा संख्या 4010 में अप्रार्थी के पिता भोमाराम पुत्र किशनाराम को बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया। जैर आराजी राजस्व रेकर्ड में गै.मु. नाडी से अन्य किस्म बारानी प्रथम दर्ज हुई है। जैर आराजी गै.मु.नाडी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की भूमिया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमिया है। साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये दिशा निर्देशों की पालना में जैर प्रार्थना पत्र आराजी की किस्म पुनः पुर्व की स्थिति बहाल किया जाना है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन को भी निरस्त करते हुये उक्त भूमि की किस्म पुनः गै.मु.नाडी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता द्वारा नियमानुसार आवंटन नियमों की शर्तो की पालना करने पर जैर आराजी पर गैरखातेदार से खातेदार दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण के पिता भोमाराम का देहान्त हो जाने पर वर्तमान में अप्रार्थीगण जैर आराजी के राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है तथा मौके पर काबिज काश्त है। जैर आराजी अप्रार्थीगण की पैतृक कब्जा सुदा कृषि भूमि है जिस पर वे काश्त करते आ रहे है। तहसीलदार सोजत ने बिना किसी जांच के उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो परिपोषणीय नहीं होने से प्रार्थी के रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम बगडी II पटवार मण्डल बगडी II तहसील सोजत की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के अनुसार खसरा नम्बर 4010 रकबा 0.7700 हैक्टेयर भूमि किस्म बारानी अव्वल पर अप्रार्थीगण बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ग्राम बगडी के खसरा बन्दोबस्त सम्वत् 2025 के अनुसार खसरा नम्बर 4010 रकबा 0.7700 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1650, 1594मि, 1652/1 से मिलकर बना है। ग्राम बगडी की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010–2019 के अुनसार खसरा नम्बर 1650 की किस्म गै.मु.नाडी दर्ज है। आवंटन अधिकारी के आदेश दिनांक 16.06.1989 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 548 दिनांक 04.09.1989 के द्वारा खसरा संख्या 4010 में अप्रार्थी के पिता भोमाराम पुत्र किशनाराम को बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया, जो ग्राम बगडी II की जमाबन्दी सम्वत् 2050–2053 से स्पष्ट है तथा तहसीलदार सोजत के आदेश दिनांक 3.11.2001 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1082 दिनांक 12.12.2001 के अनुसार भोमाराम को जैर आराजी में गैरखातेदार से खातेदार दर्ज किया गया। भोमाराम फौत हो जाने पर जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 2010 दिनांक 20.10.2014 के द्वारा अप्रार्थीगण को जैर आराजी में बतौर खातेदार दर्ज किया गया, जो जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के अवलोकन से स्पष्ट है।

ग्राम बगडी की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010–2019 के अुनसार खसरा नम्बर 1650 की किस्म गै.मु.नाडी दर्ज है तथा नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की भूमिया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमिया है। रेफरेन्स मेन्टेनेबल है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये दिशा निर्देशों की पालना में जैर प्रार्थना पत्र आराजी की किस्म पुनः पुर्व की स्थिति बहाल किया जाना है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स पर प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

पिता को आवंटित भूमि जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 4010 रकबा 0.7700 हैक्टेयर भूमि किस्म बारानी अव्वल है, के सम्बन्ध में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 548 दिनांक 04.09.1989 एवं पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 1082 दिनांक 12.12.2001 एवं 2010 दिनांक 20.10.2014 को निरस्त करते हुये जैर आराजी की किस्म बारानी अव्वल से पुनः गै.मु. नाडी दर्ज कराने एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावें।

(डॉ राजेश गोयल)
अति.जिला कलेक्टर,पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)